

क्रं.	कार्य स्थल का विवरण	ई.रिक्शा किराये पर लेने बाबत्	अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	निविदा प्रपत्र का प्रकार	समय अवधि
1	जोन क्रंमाक 1 (ग्रुप)	निगम के द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार में ई.रिक्शा चालक एवं उसके संपूर्ण रखरखाव के साथ	05 ई. रिक्शा	12,000.00 प्रति माह के अनुसार से 01 वर्ष के लिए	3000	750	"C"	1 वर्ष
2	जोन क्रंमाक 2 (ग्रुप)	निगम के द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार में ई.रिक्शा चालक एवं उसके संपूर्ण रखरखाव के साथ	05 ई. रिक्शा	12,000.00 प्रति माह के अनुसार से 01 वर्ष के लिए	3000	750	"C"	1 वर्ष
3	जोन क्रंमाक 3 (ग्रुप)	निगम के द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार में ई.रिक्शा चालक एवं उसके संपूर्ण रखरखाव के साथ	05 ई. रिक्शा	12,000.00 प्रति माह के अनुसार से 01 वर्ष के लिए	3000	750	"C"	1 वर्ष
4	जोन क्रंमाक 4 (ग्रुप)	निगम के द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार में ई.रिक्शा चालक एवं उसके संपूर्ण रखरखाव के साथ	05 ई. रिक्शा	12,000.00 प्रति माह के अनुसार से 01 वर्ष के लिए	3000	750	"C"	1 वर्ष

नोट - ई.रिक्शा का आकार प्रकार व मानचित्र एवं निविदा के नियम शर्तों का अवलोकन कर्मशाला विभाग से ज्ञात व प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग (छ0ग0)

ई-रिक्शा किराये पर रखने का निविदा के नियम व शर्तें

- (1) निविदाकार को ई-रिक्शा का दर प्रतिमाह/प्रतिदिन के अनुसार से प्रस्तुत करना होगा ।
- (2) ई-रिक्शा के साथ चालक भी साथ में देना होगा जो चलाने में कुशल हो ।
- (3) ई-रिक्शा व चालक का देख-रेख व मेनटेस की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
- (4) कार्य के समय किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने पर उसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
- (5) प्रतिदिन निर्धारित वार्डों से डोर-टू-डोर (घर-घर) से कचरा संग्रहण का कार्य करना होगा, कोई भी घर न छूटे ।
- (6) संग्रहण किये गये कचरा को निगम द्वारा निर्धारित स्थान में खाली करना होगा ।
- (7) प्रत्येक दिन कचरा संग्रहण करते वक्त गीला कचरा/सूखा कचरा पृथक-पृथक ई-रिक्शा के खण्ड में रखना होगा ।
- (8) ई-रिक्शा निविदा में दर्शाये आकार व प्रकार की ही होनी चाहिए ।
- (9) ई-रिक्शा की सुरक्षा की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
- (10) ई-रिक्शा की कार्य अवधि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक रहेगी ।
- (11) ई-रिक्शा के चालक को पढ़ने-लिखने का ज्ञान होना चाहिए ।
- (12) प्रत्येक दिन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कर घर-घर से हस्ताक्षर व सत्यापन करना अनिवार्य होगा ।
- (13) कार्यस्थल के वार्ड के सुपरवाइजर/दरोगा का प्रतिदिन कार्य का सत्यापन करना होगा व उसके निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।
- (14) दैनंदनी की जायरी में सत्यापन पाये जाने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा ।
- (15) ई-रिक्शा व चालक प्रतिदिन नियमित तौर पर प्रदाय करना होगा । अनुपस्थिति की स्थिति में दूसरा व्यवस्था करना होगा ।
- (16) जिस दिन ई-रिक्शा व चालक नहीं आयेगा उस दिन का किराये की कटौती कर 15% अर्थदण्ड लिया जावेगा ।
- (17) ई-रिक्शा व चालक का बीमा करवाने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।
- (18) ई-रिक्शा के चालक को सुरक्षा उपकरण देने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी ।

  
आयुक्त

नगर पालिक निगम, दुर्ग.



